[2022] 2 एस.सी.आर. 102

वहीद-उर-रहमान पर्रा

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

(आपराधिक अपील संख्या 237/2022)

25 फरवरी 2022

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 173(6), 207 और 161 - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - धारा 44 - क्या धारा 173 के तहत शक्तियों के प्रयोग में कुछ गवाहों को संरक्षित गवाह घोषित किए जाने के मामले में (6) सीआरपीसी, निचली अदालत द्वारा यूएपीए की धारा 44 के साथ पढ़ी गई, क्या बचाव पक्ष इन संरक्षित गवाहों के संशोधित बयानों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए धारा 207 और धारा 161 सीआरपीसी के तहत उपाय का सहारा ले सकता है - निचली अदालत ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्तों को संरक्षित गवाहों के बयानों की प्रतियां प्रदान करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था - अपील में, उच्च न्यायालय ने माना कि संरक्षित गवाहों की याचिका की अनुमति दी गई है और उनकी गवाही को एक में रखने का निर्देश दिया गया है। सीलबंद लिफाफे में, संपादित बयानों की प्रतियों की अनुमति देना अपने ही आदेशों को दोबारा देखने और समीक्षा करने जैसा होगा, जो स्वीकार्य नहीं था - माना गया: सीआरपीसी की धारा 173(6) के प्रावधानों को यूएपीए की धारा 44 और एनआईए अधिनियम की धारा 17 के साथ पढ़ा जाता है। सीआरपीसी की धारा 207 की तुलना में विभिन्न

कानूनी निहितार्थों के साथ एक अलग स्तर पर खड़ा होना, परिणामस्वरूप, निचली अदालत*का आदेश धारा 207 सीआरपीसी के तहत संशोधित बयानों की अनुमति देना समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं है - निचली अदालत का आदेश निष्पक्ष और उचित दोनों है गवाहों की सुरक्षा करते हुए अभियोजन और बचाव के लिए और सीआरपीसी की धारा 207 के तहत गवाही के संशोधित हिस्से के प्रकटीकरण के साथ निष्पक्ष सुनवाई से बचाव को वंचित न करें।*

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित: 1. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 44 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित सीआरपीसी की धारा 173(6) के प्रावधान अलग-अलग कानूनी निहितार्थों के साथ एक अलग स्तर पर खड़े हैं। सीआरपीसी की धारा 207. पहला आदेश दहलीज पर पारित किया गया था। आरोपियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। धारा 44, यूएपीए, धारा 17, एनआईए अधिनियम और धारा 173(6) का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा के लिए है। वे वैधानिक गवाह संरक्षण की प्रकृति में हैं। अदालत के संतुष्ट होने पर कि गवाह के पते और नाम का खुलासा करने से परिवार और गवाह को खतरा हो सकता है, ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। वे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में भी हैं। [अनुच्छेद 24]

2. अपीलकर्ता/अभियुक्त के पास आने और सीआरपीसी की धारा 207 के तहत संशोधित बयान मांगने का अवसर। जब मुकदमा शुरू होना था तब अपीलकर्ता का विचार था कि उचित बचाव की दलील देने के लिए संशोधित हिस्से को छोड़कर पूरा खुलासा किया जाना चाहिए ताकि उन गवाहों की गवाही का उपयोग उनकी पहचान या उनके निवास स्थान का खुलासा किए बिना किया जा सके। . यह समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं है बल्कि दो अलग-अलग प्रावधानों के तहत कार्यवाही के दो अलग-अलग चरणों में शक्तियों का प्रयोग है। [अनुच्छेद 25]

3. निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को सावधानी से लिखा गया है। आदेश में न केवल गवाहों के पते और विवरण को संशोधित करने की अनुमति दी गई है, जो उनकी पहचान का

खुलासा कर सकते हैं, बल्कि यह भी कहा गया है कि बयान में अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद**भी, जो उनके व्यवसाय और पहचान का खुलासा करेंगे, को भी संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार, व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और वह भी विशेष लोक अभियोजक को निर्णय लेने के लिए। इस प्रकार इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा शायद ही कोई शिकायत की गई होगी। निचली अदालत का आदेश गवाहों की सुरक्षा करते हुए अभियोजन और बचाव पक्ष के लिए निष्पक्ष और उचित दोनों है और सीआरपीसी की धारा 207 के तहत गवाही के संपादित हिस्से के प्रकटीकरण के साथ बचाव पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित नहीं करता है। [अनुच्छेद 27]**

मो. हुसैन बनाम राज्य (जीएनसीटीडी) **(2012) 2 एससीसी 584: [2012] 1 एससीआर 64**; *सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)* **(2010) 6 एससीसी 1: [2010] 4 एससीआर 103**; *जाहिद शेख बनाम गुजरात राज्य* **(2011) 7 एससीसी 762 [2011] 10 एससीआर 1**; *डी. सुबैर टी.पी. एवं अन्य. बनाम भारत संघ* **(2021) 1 केएलटी (एसएन 17)** और *अतुल शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य* **(2019) 17 एससीसी 299 संदर्भित**।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2012] 1 एससीआर 64	**संदर्भित**	**पैरा 18**
[2010] 4 एससीआर 103	**संदर्भित**	**पैरा 18**
[2011] 10 एससीआर 1	**संदर्भित**	**पैरा 18**
(2019) 17 एससीसी 299	**संदर्भित**	**पैरा 23**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 237/2022

श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2021 की आपराधिक अपील संख्या 16/ 2021

शादान फरासत, शारिक जे. रेयाज़, शौर्य दासगुप्ता, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

तरुणा अर्धेनदमौलि प्रसाद, पार्थ अवस्थी, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति.

1. वर्तमान अपील में विचार के लिए उठने वाला विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या कुछ गवाहों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 (6) के तहत शक्तियों के प्रयोग में संरक्षित गवाह घोषित किया जा रहा है (इसके बाद इसे कहा जाएगा 'सीआर.पी.सी.'), निचली अदालतद्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद 'यूएपीए' के रूप में संदर्भित) की धारा 44 के साथ पढ़ा गया, क्या बचाव पक्ष धारा 207 और धारा 161 के तहत उपाय का सहारा ले सकता है? सी.आर.पी.सी. की. इन संरक्षित गवाहों के संशोधित बयानों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए।

पृष्ठभूमि:

2. एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफआईआर'), एफआईआर संख्या 5/2020, 11.01.2020 को यूएपीए की धारा 7/25 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत दर्ज की गई थी। शस्त्र अधिनियम, 1959 (बाद में 'शस्त्र अधिनियम' के रूप में संदर्भित)

और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4 (इसके बाद 'ईएस अधिनियम' के रूप में संदर्भित) एक सैयद नवीद मुश्ताक और अन्य के खिलाफ पी.एस. में दर्ज की गई। काजीगुंड. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संक्षेप में 'एनआईए') ने एनआईए अधिनियम की धारा 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 6(4) के तहत इस एफआईआर की जांच शुरू की और एफआईआर को फिर से दर्ज किया गया। 17.01.2020 को आरसी/01/2020/एनआईए/जेएमयू के रूप में पंजीकृत। अपीलकर्ता को उक्त एफआईआर में 25.11.2020 को गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने 22.03.2021 को 3 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू (विशेष न्यायाधीश एनआईए अधिनियम) की अदालत के समक्ष एफआईआर में दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता को आरोपी संख्या 11 उक्त पूरक आरोपपत्र में के रूप में दर्ज किया गया।

3. 22.12.2020 को, प्रतिवादी ने यूएपीए की धारा 13, 17, 18, 38, 39, 40 के साथ धारा 120-बी, 121, 121-ए और 124-ए के तहत एफआईआर संख्या 31/2020 दर्ज की। भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) पी.एस. अपीलकर्ता का नाम बताए बिना सीआईके, श्रीनगर। एनआईए आरोप पत्र के समान आरोपों और सबूतों के सेट पर, प्रतिवादी ने विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम), श्रीनगर के समक्ष एफआईआर संख्या 31/2020 से उत्पन्न मामले में एक और अंतिम रिपोर्ट / आरोप पत्र दायर किया, जहां अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था। एकमात्र आरोपी के रूप में. अपीलकर्ता के खिलाफ 20.7.2021 को आरोप तय किए गए।

4. प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 173(6) के साथ पठित यूएपीए की धारा 44 के तहत एक आवेदन दायर किया। निचली अदालत के समक्ष पांच गवाहों को संरक्षित गवाहों के रूप में घोषित करने और डी-1 के रूप में चिह्नित कुछ दस्तावेजों को आरोपियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों से बाहर करने की मांग की गई। निचली अदालत ने दिनांक 01.06.2021 के आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि गवाहों और उनके परिवारों के जीवन और संपत्ति को खतरा था। परिणामस्वरूप, यूएपीए की धारा 44 के दायरे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ए-1 से ए-5 के रूप में चिह्नित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों को संरक्षित

गवाहों के रूप में उनकी घोषणा के मद्देनजर एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। इसके अलावा, डी-1 के रूप में चिह्नित दस्तावेज़ (जो एक अलग सीलबंद लिफाफे में भी थे) को अन्य दस्तावेजों से बाहर रखा गया था और संरक्षित गवाहों के बयानों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

<u>निचली अदालत की कार्यवाही</u>:

5. सीआरपीसी की धारा 207 के तहत एक आवेदन। अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष संरक्षित गवाहों ए-1 से ए-5 के बयानों की एक संशोधित प्रति के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किया गया था। इसका प्रतिवादियों ने इस आधार पर विरोध किया कि उक्त आवेदन इस कारण से विचारणीय नहीं है कि क्या ऐसे बयानों की प्रतियां अभियुक्तों को प्रदान करने की आवश्यकता है या नहीं, यह पहले ही निचली अदालत द्वारा दिनांक 01.06.2021 के अपने आदेश के संदर्भ में तय कर लिया गया था। यह तर्क दिया गया कि धारा 207 सीआर.पी.सी. धारा 173 Cr.P.C पर सशर्त था। और इसका स्थान नहीं ले सका. अभियुक्त को समस्त सामग्री उपलब्ध कराने का अधिकार सीआरपीसी की धारा 207 के तहत परिकल्पित। इस प्रकार निरपेक्ष होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जो सीआरपीसी की धारा 207 के खंड (iii) को पढ़ने से काफी स्पष्ट था। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी। और अपीलकर्ता की प्रार्थना दिनांक 01.06.2021 के पिछले आदेश की समीक्षा की मांग के समान होगी।

6. निचली अदालत ने दिनांक 11.09.2021 के आदेश के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को यह देखते हुए अनुमति दी कि धारा 44, यूएपीए, और धारा 207 और 173 (6), सीआरपीसी के मद्देनजर, यह स्पष्ट था कि अभियोजन का कर्तव्य था निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने के लिए अभियुक्तों को संरक्षित गवाहों ए-1 से ए-5 के बयानों की प्रतियां प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, निचली अदालतद्वारा पारित दिनांक 01.06.2021 का आदेश उपरोक्त धाराओं के तहत निचली अदालतकी शक्तियों को प्रतिबंधित या बाधित नहीं करता है। यह राय दी गई कि अभियोजन के आवेदन का उद्देश्य गवाहों ए-1 से ए-5 को संरक्षित गवाह घोषित करने का एकमात्र

उद्देश्य था और आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि उन संरक्षित गवाहों को अभियुक्तों को बयानों की प्रतियां प्राप्त करने से रोका गया था।

<u>उच्च न्यायालय की कार्यवाही</u>:

7. प्रतिवादीयों ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की कि दिनांक 11.09.2021 का आदेश दिनांक 01.06.2021 के पहले के आदेश के विपरीत होगा और उस उद्देश्य को अस्वीकार कर देगा जिसे पहले के संदर्भ में पूरा करने की मांग की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि यह अनिवार्य रूप से एक समीक्षा शक्ति थी जिसका प्रयोग करने की मांग की गई थी, और यह प्रक्रियात्मक और क्षेत्राधिकार की दृष्टि से निचली अदालत की क्षमता के भीतर नहीं था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने दलील दी कि अंतरिम आदेश से उत्पन्न होने वाली कोई भी अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

8. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.10.2021 के आक्षेपित आदेश के तहत अपील की अनुमति दी, यह देखते हुए कि यूएपीए की धारा 17 और 44 के आलोक में यह स्पष्ट था कि विधायिका को सामान्य के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी थी। सीआरपीसी की धारा 173(6) के तहत सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए। और उक्त प्रावधानों में उल्लिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय देना उचित पाया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में राय देते हुए कहा कि निचली अदालतने संरक्षित गवाहों की याचिका को स्वीकार कर लिया है और उनकी गवाही को एक सीलबंद कवर में रखने का निर्देश दिया है, संशोधित बयानों की प्रतियों की अनुमति देना अपने ही आदेशों की फिर से समीक्षा करने और समीक्षा करने जैसा होगा, जो अनुमति योग्य नहीं था. इससे संरक्षित गवाहों को भी असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा।

<u>विधिक स्थिति</u>:

9. विवाद का मूल्यांकन करने के लिए हम सबसे पहले विधिक स्थिति सामने रखेंगे।

10. निचली अदालतद्वारा शक्ति का प्रारंभिक प्रयोग सीआरपीसी की धारा 173(6) के तहत किया गया था। सीआरपीसी का अध्याय XII "पुलिस को सूचना और जांच करने की उनकी शक्तियां" से संबंधित है। धारा 173 "जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट" को संदर्भित करती है। धारा 173 सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार पढ़ें:

"173. जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट :

(1) इस अध्याय के तहत प्रत्येक जांच अनावश्यक देरी के बिना पूरी की जाएगी।

XXXX XXXX XXXX XXXX

(6) यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी भी बयान का कोई भी हिस्सा कार्यवाही की विषय-वस्तु से प्रासंगिक नहीं है या अभियुक्त के सामने इसका खुलासा न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और सार्वजनिक हित में अनुचित है, वह बयान के उस हिस्से को इंगित करेगा और एक नोट संलग्न करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट से उस हिस्से को आरोपी को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर करने का अनुरोध किया जाएगा और ऐसा अनुरोध करने के लिए अपने कारणों को बताया जाएगा।"

11. मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के सभी बयानों का खुलासा अभियुक्त को करना होगा। धारा 173(6) उक्त प्रावधान का अपवाद है। यह दो स्थितियों में लागू होता है, अर्थात्,

अ - कथन कार्यवाही की विषयवस्तु से प्रासंगिक नहीं है।

ब - अभियुक्त को इसका खुलासा न्यायहित में आवश्यक या जनहित में समीचीन नहीं है।

इसमें आगे कहा गया है कि बयान के ऐसे हिस्से को एक नोट में संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाए कि वह आरोपी को दी जाने वाली "प्रतियों से उस हिस्से" को बाहर कर दे और ऐसा अनुरोध करने के कारणों का खुलासा करे।

12. दायर किए गए आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि जांच अधिकारी (संक्षेप में 'आईओ') द्वारा बताया गया कारण यह था कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला था और कुछ के अलावा, उच्च सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान आकर्षित करेगा। खूंखार आतंकवादी संगठनों को साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है और परिणामस्वरूप उनके खिलाफ जांच की जा रही है। वहाँ ऐसे गवाहों के जीवन और संपत्ति के लिए एक आसन्न खतरा माना गया था और इस प्रकार, न्याय के हित में और इन गवाहों के हित में उन्हें संरक्षित गवाह घोषित किया जाना आवश्यक था। यूएपीए की धारा 44 के संदर्भ में, उनके बयानों की प्रतियों को आरोपियों को प्रदान की जाने वाली प्रतियों से बाहर रखा जाना चाहिए और एक सीलबंद कवर में रखा जाना चाहिए।

13. अब हम दूसरे प्रावधान की ओर मुड़ते हैं, जो यूएपीए की धारा 44 है, जो "गवाहों की सुरक्षा" से संबंधित है और इस प्रकार है:

> "**44. गवाहों की सुरक्षा** - (1) संहिता में किसी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अगर अदालत चाहे तो कैमरे में आयोजित की जा सकती है।
>
> (2) यदि कोई अदालत, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी गवाह द्वारा या ऐसे गवाह के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या अपने स्वयं के अनुरोध पर संतुष्ट है कि ऐसे गवाह का जीवन खतरे में है, तो वह, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे गवाह की पहचान और पते को गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय करें जो उचित समझें।

(3) विशेष रूप से, और उप-धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप-धारा के तहत अदालत जो उपाय कर सकती है उनमें शामिल हो सकते हैं

(ए) अदालत द्वारा तय किए जाने वाले स्थान पर कार्यवाही आयोजित करना;

(बी) अपने आदेशों या निर्णयों में या जनता के लिए सुलभ मामले के किसी भी रिकॉर्ड में गवाह के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना;

(सी) पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी करना और गवाह के पते का खुलासा नहीं किया गया है;

(डी) एक निर्णय कि यह आदेश देना सार्वजनिक हित में है कि ऐसी अदालत के समक्ष लंबित सभी या किसी भी कार्यवाही को किसी भी तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (3) के तहत जारी किसी भी निर्णय या निर्देश का उल्लंघन करता है, को कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

14. यूएपीए की धारा 44 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, यदि सरकारी वकील ऐसे गवाह के संबंध में उपरोक्त दलील देता है, तो एक आवेदन पर एक अदालत संतुष्ट हो सकती है कि ऐसे गवाह का जीवन खतरे में है। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे उपाय करें जो "ऐसे गवाह की पहचान और पते को गुप्त रखने के लिए उचित समझें।" इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि पूरा उद्देश्य यह है कि यदि गवाह की गवाही से, उनके स्थान और पहचान को समझा जा सकता है, तो गवाही का वह हिस्सा नहीं सौंपा जाना चाहिए। हम इसे निचली अदालत के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गई प्रार्थना के संदर्भ में देख रहे हैं, जहां उसने संरक्षित गवाहों के केवल संशोधित बयानों की मांग की थी। हम साथ ही यह भी नोट कर सकते हैं कि निचली अदालतके दिनांक 11.09.2021 के आदेश ने स्पष्ट निर्देश के साथ इसकी अनुमति दी थी कि

दस्तावेजों को पहचान (संरक्षित गवाहों का नाम और पता) और उनके बयानों में प्रासंगिक पैरा को हटाने के बाद वितरित किया जाएगा, जिससे उनका खुलासा हुआ था। व्यवसाय और पहचान. इस प्रकार, यहां तक कि इसे विशेष लोक अभियोजक पर छोड़ दिया गया कि वे इस बारे में निर्णय लें कि उनके बयान में प्रासंगिक अनुच्छेदके रूप में क्या लिया जाएगा, जिससे उनका खुलासा हो सके उनके नाम और पते में संशोधन के अलावा व्यवसाय और पहचान भी शामिल है।

15. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि एनआईए अधिनियम की धारा 17 उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप है।

16. सीआरपीसी की धारा 161, "पुलिस द्वारा गवाहों की जांच" से संबंधित है और धारा 207, "आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति" के पहलू से संबंधित है। यह धारा "मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत" से संबंधित अध्याय XVI में आती है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> **"207. आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करना** - किसी भी मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के आरोपी को प्रत्येक की एक प्रति नि:शुल्क देगा। निम्नलिखित:-
>
> (i) पुलिस रिपोर्ट;
>
> (ii) धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट;
>
> (iii) उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए बयान, जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है, इसमें से किसी भी हिस्से को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह के बहिष्करण का अनुरोध किया गया है धारा 173 की उपधारा (6);

(iv) धारा 164 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति और बयान, यदि कोई हो;

(v) धारा 173 की उपधारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक उद्धरण:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट बयान के किसी भी ऐसे हिस्से को पढ़ने के बाद और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से या ऐसे हिस्से की एक प्रति जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को दिया जाएगा:

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज बड़ा है, तो वह आरोपी को उसकी एक प्रति देने के बजाय निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। अदालत।"

17. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि यह एक मजिस्ट्रेट को "करेगा" शब्द का उपयोग करके बिना किसी देरी के उसमें निर्दिष्ट की गई प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का आदेश देता है, जिसमें धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए बयान शामिल होंगे। सभी व्यक्तियों का. हालाँकि, पहला प्रावधान एक अपवाद बनाता है कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) के संबंध में, अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, बयान के उस हिस्से या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रति देने का निर्देश देता है। जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को दिया जाएगा।

<u>प्रतिद्वंद्वी तर्क :</u>

18. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 161 और 207 के अनुसार मुकदमे के दौरान गवाह का सामना करने के लिए गवाहों के बयानों की एक प्रति प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है और ***मोहम्मद हुसैन बनाम राज्य (जीएनसीटीडी)***

(2012) 2 एससीसी 584 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, इस बात पर जोर देने के लिए कि आरोपी को उक्त प्रावधानों के तहत प्रभावी बचाव के लिए गवाहों के बयानों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, ***सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2010) 6 एससीसी 1*** के मामले में, यह राय दी गई कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और बयानों को प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार पूर्ण है और इसका पालन किया जाना चाहिए। इसे एक की आवश्यकता के एक भाग के रूप में माना गया निष्पक्ष सुनवाई में निष्पक्ष खुलासा। ***जाहिद शेख बनाम गुजरात राज्य 3 (2011) 7 एससीसी 762*** में, इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ एक समान विचार व्यक्त किया कि धारा 207 और 208 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए आरोप पत्र और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करना सत्र न्यायालय का कर्तव्य था और इसे कोई औपचारिकता नहीं माना जा सकता।

19. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से संतुलन बनाने का अनुरोध किया, ताकि उन मामलों में निष्पक्ष सुनवाई से समझौता न किया जा सके जहां विशेष कानूनों के तहत गवाहों की पहचान छुपाने की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ता के वकील ने निचली अदालतके निर्देश को बहुत ही उचित बताते हुए इसे उचित ठहराने की मांग की, और गवाहों और उनकी पहचान की सुरक्षा के लिए उचित जानकारी को संशोधित करने की जिम्मेदारी खुद एसपीपी पर छोड़ दी।

20. परीक्षण शक्ति के पहलू पर न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा रही समीक्षा जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, से आग्रह किया गया कि पहले कुछ गवाहों को संरक्षित गवाहों के रूप में नामित करने का निर्देश दिया गया था अभियुक्त की अनुपस्थिति. यह कार्यवाही की एक विशिष्ट प्रकृति थी। वे कार्यवाहियाँ किसी अभियुक्त का होने का अधिकार नहीं छीन सकतीं गवाहों के बयान दिए गए क्योंकि उद्देश्य केवल सुरक्षा करना था गवाहों और पूरे बयान को दायरे से बाहर न करें सीआरपीसी की धारा 207 का. दूसरा आदेश दिनांक 11.9.2021 को था सावधानियों के अधीन, सीआरपीसी की धारा 207 के आदेश को पूरा करें उस संबंध में लिया जाना है।

21. अंत में यह आग्रह किया गया कि एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अंतरिम आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय की अपील से पहले कोई भी अपील विचारणीय नहीं है, जो अभियोजन और बचाव पर समान रूप से लागू होगी। तर्कों की सराहना करने के लिए, हम एनआईए अधिनियम की धारा 21(1) को पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अंतर्वर्ती आदेशों को अपवाद प्रदान करती है और निम्नानुसार पढ़ी जाती है:

> "**21 अपीलें** - (1) संहिता में किसी भी बात के बावजूद, एक विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, वाक्य या आदेश के खिलाफ, तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर, उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।"

22. दिलचस्प बात यह है कि केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ***डी. सुबैर टी.पी. एवं अन्य बनाम भारत संघ (2021) 1 केएलटी (एसएन 17)*** ने दिनांक 11.09.2021 के अपने आदेश में अभियुक्तों को निचली अदालतके समान शर्तें देकर एक समान मुद्दे पर अपनी राय दी है। हालाँकि, बयान के कुछ हिस्सों को संशोधित करने का विवेकाधिकार विशेष अभियोजक के बजाय निचली अदालतपर छोड़ दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत इस न्यायालय का कोई निर्णय हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।

23. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अनिवार्य रूप से इस आधार पर अपील का विरोध किया कि समीक्षा की शक्ति निचली अदालत के पास उपलब्ध नहीं थी (***अतुल शुक्ला बनाम एमपी राज्य और अन्य (2019) 17 एससीसी 299***)। यह आग्रह किया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनजर, कुछ तथ्यों को प्रकटीकरण से बाहर रखा जाना सार्वजनिक हित में समीचीन था क्योंकि गवाहों और उनके परिवारों के जीवन और सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरा था।

<u>निष्कर्ष</u>:

24. उपरोक्त कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य और मुद्दे के निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्यों की सीमित रूपरेखा पर, हमारा विचार है कि सीआरपीसी की धारा 173(6) के प्रावधान। यूएपीए

की धारा 44 और एनआईए अधिनियम की धारा 17 सीआरपीसी की धारा 207 की तुलना में अलग-अलग कानूनी निहितार्थों के साथ एक अलग स्तर पर खड़ी हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला आदेश दहलीज पर पारित किया गया था। आरोपियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। धारा 44, यूएपीए, धारा 17, एनआईए अधिनियम और धारा 173(6) का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा करना है। वे वैधानिक गवाह संरक्षण की प्रकृति में हैं। अदालत के संतुष्ट होने पर कि गवाह के पते और नाम का खुलासा करने से परिवार और गवाह को खतरा हो सकता है, ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। वे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में भी हैं। दिनांक 01.06.2021 को आदेश पारित करते समय निचली अदालतने इन विचारों पर विचार किया और यहां तक कि अपीलकर्ता को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है।

25. अपीलकर्ता/अभियुक्त के पास आने और सीआरपीसी की धारा 207 के तहत संशोधित बयान मांगने का अवसर। जब मुकदमा शुरू होना था तब अपीलकर्ता का विचार था कि उचित बचाव की दलील देने के लिए संशोधित हिस्से को छोड़कर पूरा खुलासा किया जाना चाहिए ताकि उन गवाहों की गवाही का उपयोग उनकी पहचान या उनके निवास स्थान का खुलासा किए बिना किया जा सके। हमारे विचार में, यह समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग प्रावधानों के तहत कार्यवाही के दो अलग-अलग चरणों में शक्तियों का प्रयोग है। इसलिए अभियोजन पक्ष की यह दलील कि यह एक समीक्षा शक्ति है, गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समीक्षा की शक्ति उपलब्ध नहीं है निचली अदालत के साथ और सवाल यह था कि क्या निचली अदालत द्वारा दिनांक 01.06.2021 और 11.09.2021 के आदेशों के तहत दो अलग-अलग प्रावधानों के तहत शक्ति का प्रयोग बाद के आदेश में समीक्षा की शक्ति कहा जा सकता है। इसका उत्तर स्पष्टतः नकारात्मक है।

26. हम किसी अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध कोई अपील न होने से उत्पन्न होने वाले एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस पहलू पर किसी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा संभवतः इसलिए विचार नहीं किया गया क्योंकि उसकी राय थी कि बाद वाला आदेश पिछले आदेश की समीक्षा के समान था। अपीलकर्ता ने दिनांक 01.06.2021 के पहले के आदेश को चुनौती नहीं दी थी और न ही ऐसा कर सकता था। इसी प्रकार, एनआईए अधिनियम की धारा 21(1) के प्रावधानों

को देखते हुए, बाद के आदेश को प्रतिवादियों द्वारा अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि यह एक अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति का था।

27. इतना कहने के बाद, हम 11.09.2021 को निचली अदालतद्वारा पारित आदेश पर भी आते हैं, जिसे सावधानी से लिखा गया है। आदेश में न केवल गवाहों के पते और विवरण को संशोधित करने की अनुमति दी गई है, जो उनकी पहचान का खुलासा कर सकते हैं, बल्कि आगे कहा गया है कि बयान में अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद भी, जो उनके व्यवसाय और पहचान का खुलासा करेंगे, को भी संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार, व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और वह भी विशेष लोक अभियोजक को निर्णय लेने के लिए। इस प्रकार इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा शायद ही कोई शिकायत की गई होगी। प्रतिवादी के विद्वान वकील से यह पूछने पर कि यह आदेश किसी भी तरह से कैसे पक्षपात कर सकता है या गवाहों या उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाने की संभावना के साथ उनकी पहचान का खुलासा करने की प्रवृत्ति रखता है, वास्तव में कोई जवाब नहीं दिया गया है। हमारा मानना है कि दिनांक 11.09.2021 का आदेश गवाहों की सुरक्षा करते हुए अभियोजन और बचाव के लिए निष्पक्ष और उचित दोनों है और सीआरपीसी की धारा 207 के तहत गवाही के संशोधित हिस्से के प्रकटीकरण के साथ बचाव को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित नहीं करता है।

28. उपरोक्त का परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.2021 के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और निचली अदालतके दिनांक 11.09.2021 के आक्षेपित आदेश को बहाल कर दिया जाता है।

29. अपील की अनुमति दी जाती है लागत पक्षों द्वारा उठाई जाएगी।

विभूति भूषण बोस अपील की अनुमति दी जाती है

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित